



प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहांपुर



सराहनीय कार्य दिनांक 11.02.25

“थाना रोजा पुलिस व जनपदीय सर्विलांस सेल जनपद शाहजहांपुर तथा एस.ओ.जी व सर्विलांस सेल जनपद हरदोई की संयुक्त टीम द्वारा की गयी बडी कार्यवाही”

“थाना रोजा पुलिस व जनपदीय सर्विलांस सेल जनपद शाहजहांपुर तथा एस.ओ.जी व सर्विलांस सेल जनपद हरदोई की संयुक्त टीम द्वारा 02 शातिर किस्म के चोर/लुटेरों को मय एक अदद तमन्चा 12 बोर मय एक अदद कारतूस जिंदा 12 बोर व 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन तथा एक बैग व नकब लगाने के औजार (एक अदद सब्बल लोहे की तथा एक पेंचकस) तथा नकबजनी के माल बिक्री की नगदी सहित गिरफ्तार किया गया”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध मे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में थाना रोजा पुलिस व सर्विलांस जनपद शाहजहांपुर तथा एस.ओ.जी./सर्विलांस टीम जनपद हरदोई की संयुक्त कार्यवाही/सूचना पर थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली।

उक्त अभियान के क्रम में थाना रोजा पुलिस द्वारा छापेमारी करते हुए थाना रोजा क्षेत्र में चोरी करने वाले 02 शातिर किस्म के चोर/लुटेरों 1. धर्मेन्द्र उर्फ रजनीश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी धीयर महोलिया, रेलवेगंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई उम्र करीब 32 वर्ष 2. वकील अली पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम गरीब पुर्वा, थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई उम्र करीब 19 वर्ष को आज **दिनांक 11.02.2025 को प्रातः 06.30 बजे जियो पेट्रोल पंप के सामने स्थित रेलवे के मैदान से** मय जामा तलाशी के कुल 3,990/- रूपया नगद व एक अदद तमंचा देशी 12 बोर मय एक अदद कारतूस जिंदा 12 बोर व 02 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन तथा एक बैग व नकब लगाने के औजार (एक अदद सब्बल लोहे की तथा एक पेंचकस) के गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तगण द्वारा चर्च कालोनी रोजा के एक बन्द घर में अपने एक अन्य साथी के साथ चोरी करना स्वीकार किया गया, जिसके सम्बन्ध में पूर्व से मु0अ0सं0 32/25 धारा 305/331(4) बी.एन.एस. पंजीकृत है। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण से बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. धर्मेन्द्र उर्फ रजनीश पुत्र रमेश चन्द्र निवासी धीयर महोलिया रेलवेगंज थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई उम्र करीब 32 वर्ष
2. वकील अली पुत्र आशिक अली निवासी ग्राम गरीब पुर्वा थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई उम्र करीब 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

मु0अ0सं0 32/25 धारा 305/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना रोजा, जनपद शाहजहांपुर

आपराधिक इतिहास :-

रजनीश उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र रमेशचन्द्र निवासी ग्राम धियर महोलिया थाना को0 शहर जनपद हर 32 वर्ष

1. मु0अ0सं0 724/2021 धारा 120 बी/380/411/457 भादवि थाना कोतवाली देहात हरदोई
2. मु0अ0सं0 72/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली देहात हरदोई
3. मु0अ0सं0 05/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना कोतवाली देहात हरदोई
4. मु0अ0सं0 16/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना कोतवाली देहात हरदोई
5. मु0अ0सं0 24/2023 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना कोतवाली देहात हरदोई
6. मु0अ0सं0 293/2017 धारा 366/376/392/452 भादवि थाना कोतवाली सिटी हरदोई
7. मु0अ0सं0 931/2022 धारा 379/411/420 भादवि थाना
8. मु0अ0सं0 111/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना
9. मु0अ0सं0 08/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना
10. मु0अ0सं0 23/2023 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली सिटी हरदोई
11. मु0अ0सं0 684/2022 धारा 34/380/411/457 भादवि थाना बिलग्राम हरदोई
12. मु0अ0सं0 43/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिलग्राम हरदोई
13. मु0अ0सं0 284/2023 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलग्राम हरदोई
14. मु0अ0सं0 519/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना मल्लावां हरदोई
15. मु0अ0सं0 28/2021 धारा 392/411/506 भादवि थाना पिहानी हरदोई
16. मु0अ0सं0 738/2021 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना पिहानी हरदोई
17. मु0अ0सं0 388/2022 धारा 399/402 भादवि थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
18. मु0अ0सं0 32/25 धारा 305/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

वकील पुत्र आशिक अली निवासी गरीबपुरवा थाना को0 देहात जनपद हरदोई उम्र करीब 19 वर्ष

1. मु0अ0सं0 691/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना को0 देहात हरदोई
2. मु0अ0सं0 714/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना को0 देहात हरदोई
3. मु0अ0सं0 724/2021 धारा 120 बी/380/411/457 भादवि थाना को0 देहात हरदोई
4. मु0अ0सं0 746/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना को0 देहात हरदोई
5. मु0अ0सं0 32/25 धारा 305/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान एवं समय:-

दिनांक 11.02.2025 को प्रातः 06.30 बजे जियो पेट्रोल पंप के सामने स्थित रेलवे के मैदान से, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

विवरण पूछताछ:-

पकड़े गए व्यक्तियों से बरामद माल के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी, तो दोनों ने एक स्वर में बताया कि साहब हम लोग अंशु जो कि मंगलीपुरवा फाटक रेलवेगंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई का रहने वाला है व रेलवे में वेन्डर का काम करता है, उसी का इंतजार कर रहे थे, उसने हमें चोरी करने के लिए बुलाया था किन्तु वो किसी कारणवश नहीं आया। इसके पूर्व दिनांक 15.01.25 की रात को अंशु ने हमें रोजा मण्डी, शाहजहाँपुर में चोरी करने के इरादे से बुलाया था लेकिन वहाँ हम चोरी करने में सफल नहीं हो सके थे, तब हम तीनों लोगों ने न्यू चर्च कालोनी में वाल्मीकि बस्ती में एक बन्द पड़े मकान में ताला काटकर चोरी की थी, जिसमें हमें चाँदी के जेवरात व

आर्टीफिशियल ज्वैलरी मिली थी। चोरी में हम लोगों को जो जेवरात मिले थे, उसको हमने शैलेन्द्र पुत्र महेश निवासी निवासी धीयर महोलिया, रेलवेगंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई के माध्यम से प्रशान्त जो कि बाबा मन्दिर, जो बाबन चुंगी, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई के यहाँ **15 हजार रुपए** में बेच दिया था, जिसे हम चारों लोगों ने आपस में बाँट लिया था, जो रुपये हमारे पास से आपको मिले हैं, ये उन्हीं चोरी के रुपयों से बचे हुए हैं। बरामद रुपये थाना हाजा के मु0अं0स0 32/25 से संबंधित हैं, अतः अभियुक्तगण से बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस. तथा 3/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई। पूछताछ में मुकदमा उपरोक्त में चोरी का माल विक्रय कराने वाले शैलेन्द्र पुत्र महेश निवासी धीयर महोलिया, रेलवेगंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई तथा क्रय करने वाले प्रशान्त पुत्र नामालूम निवासी थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई का नाम प्रकाश में आया है। पूछताछ के दौरान आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

बरामदगी :

1. एक अदद तमन्चा 12 बोर
2. एक अदद कारतूस जिंदा 12 बोर
3. दो अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन
4. एक बैग व नकब लगाने के औजार (एक अदद सब्बल लोहे की तथा एक पेंचकस)

वांछित अभियुक्त:-

1. अंशु पुत्र नामालूम निवासी मंगलीपुरा फाटक रेलवेगंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई
2. शैलेन्द्र पुत्र महेश निवासी धीयर महोलिया, रेलवेगंज, थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई
3. प्रशान्त पुत्र नामालूम निवासी थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना रोजा पुलिस, जनपद शाहजहांपुर टीम

प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
उ0नि0 श्री अवधेश कुमार
है0का0 हरनाम सिंह
का0 अंकित कुमार
का0 विशाल अष्टवाल
का0 चालक सुनील

सर्विलांस सेल जनपद शाहजहांपुर

का0 शिवम कुमार
का0 प्रभात चौधरी
का0 मुकुल खोखर
का0 सचिन यादव

एस0ओ0जी0 व सर्विलांस सेल जनपद हरदोई टीम

मीडिया सेल, जनपद शाहजहांपुर पुलिस ।